**अति तत्काल**
**समयबद्ध/स्पीड पोस्ट द्वारा**

**फा. सं. एन-21/49/2020-पी एंड सी**

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 4 दिसंबर, 2020

## निविदा सूचना

**विषय:- वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के मुद्रण के लिए बोली आमंत्रित करने के संबंध में।**

अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए विनिर्देशों और अनुलग्नक में दी गई शर्तों तथा अनुबंधों के अनुसार उपभोक्ता मामले विभाग की वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी और हिन्दी) मुद्रण के लिए बोली आमंत्रित करने का निदेश हुआ है:

| **कार्य:** | **वार्षिक रिपोर्ट – दो संस्करण (अंग्रेजी और हिन्दी)** |
|---|---|
| मात्रा | अंग्रेजी – 800 प्रतियां<br>हिन्दी – 800 प्रतियां |
| ए आर का आकार और कागज की गुणवत्ता | ए-4 साईज आर्ट पेपर (शुद्ध सफेद मेट आयातित पेपर)। टेक्स्ट के लिए पेपर का वजन 110 जीसीएम और कवर के लिए 300 जीएसएम (किसी भी कार्यकारी दिवस में सुबह 11 से सायं 5 बजे तक के बीच कभी भी विभाग में नमूने को देखा जा सकता है)। |
| इनपुट | टेक्स्ट अंग्रेजी (टाइम्स) और हिन्दी (क्रुति देव) दोनों एम-एस वर्ड में दिया जाएगा। क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ऑफसेट मशीनों और उच्च गुणवत्ता स्कैनर और प्रिंटर पर टेक्स्ट की रचना तथा चित्रों को स्केन करके सेट किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट के कवर पेज को प्रिंटर द्वारा डिजाइन किया जाएगा। |
| पृष्ठों की संख्या | अनुमानित पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी और हिन्दी प्रत्येक संस्करण में 160 है। (पृष्ठों में अंतर आ सकता है और शुल्क की गणना कम/अधिक पृष्ठ यदि 160 से पृष्ठ से भिन्न हो, तो प्रो-राटा आधार पर की जाएगी)। |
| विवरण | पूरे में 4 रंग। दो कॉलम फॉर्मेट में साइड बॉर्डर के साथ प्रत्येक पृष्ठ में चित्र तथा लोगो के साथ टेक्स्ट होगा। फोटो सहित कवर पृष्ठ, बेक कवर तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्रत्येक अध्याय को रिपोर्ट के दोनों संस्करणों के लिए एक पेशेवर डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया जाएगा। कवर को मेट सर्फेस में लेमिनेट किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट की बाइंडिंग के लिए सटीक बाउंड साइड सिलाई की आवश्यकता होगी। |
| प्रिटिंग के लिए समय | सफल बोलीकर्ता प्रारूप मुद्रित रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत करेगा, विभाग की संतुष्टि तक त्रुटियों को ठीक करेगा तथा पांडुलिपि दिए जाने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर अंतिम मुद्रित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। |

कोटेशन वाले सील किए गए कवर को रसीद तथा पावती अनुभाग, उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा संख्या 50, गेट नं. 6, कृषि भवन, नई दिल्ली में ''वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 का मुद्रण'' के लिए कोटेशन अंकित कर जमा कर सकता है। निविदा हेतु पात्रता मानदंड, शर्तें तथा निबंधन अनुलग्नक में दिये गये हैं। कोटेशन की प्राप्ति और खोलने का कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

**कोटेशन की प्राप्ति की अंतिम तारीख: 29.12.2020 (अपराह्न 3.00 बजे)**

**कोटेशन खोलने की तारीख तथा समय: 29.12.2020 (अपराह्न 4.00 बजे) समिति कक्ष सं. 46, भूतल, गेट सं. 06, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001**

कोटेशन को निविदाकर्ता अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्राधिकृत गठित समिति द्वारा खोला जाएगा। प्रतिनिधियों को कोटेशन के खोलने के समारोह में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता से प्राधिकार पत्र लाना होगा। उपरोक्त निविदा विभाग की वेबसाइट *www.consumeraffairs.nic.in* पर भी उपलब्ध है।

भवदीय

जे.एस.रावत

**(जे.एस.रावत)**
अनुभाग अधिकारी
दूरभाष- 23382525

(i) केवल एनसीआर में स्थित श्रेणी 'क' और 'ख' मुद्रण निदेशालय द्वारा सूचीबद्ध मुद्रकों की सूची और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्राधिकृत मुद्रक के अनुसार।

(ii) मुद्रण निदेशालय 'बी' विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली को बोली/कोटेशन भेजने में भाग लेने के लिए प्रतिलिपि प्रेषित ।

(iii) पी एस ए (एन आई सी) को प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस निविदा को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए (संयुक्त सचिव (वी एम) के अनुमोदन की प्रति भी संलग्न)।

(iv) वेतन और भुगतान अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग, 12-ए जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली।

(v) सामान्य प्रशासन अनुभाग/अवर सचिव (आई एफ)/गार्ड फाइल।

अनुलग्नक

## पात्रता मानदंड एवं नियम व शर्तें

**यह अनुबंध निम्नलिखित पात्रता मानदंड एवं नियम व शर्तों के अध्यधीन है:**

1. बोली के साथ वेतन एवं लेखा अधिकारी उपभोक्ता मामले विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आहरित 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की अग्रिम राशि के एक डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। सफल निविदा दाता की अग्रिम जमा राशि को प्रतिभूति जमा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अन्य निविदाओं के मामले में अनुबंध को अंतिम रूप दिये जाने पर अग्रिम राशि को वापिस कर दिया जाएगा। एमएसएमई को अग्रिम राशि को जमा करवाने से छूट दी गई है।
2. बिना अग्रिम राशि के प्राप्त हुई बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. निविदाकर्ता अपेक्षाओं की अनुसूची के अनुरूप सख्ती से अपनी बिना शर्त की दरों की बोली लगा सकते हैं। कटिंग/अधिलेखन, यदि हो तो, उस स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाए।
4. वस्तु एवं मुद्रण की गुणवत्ता उच्च कोटि की होना चाहिए और यह विभाग की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए। सैंपल रिपोर्ट को पहले से समय लेकर विभाग के किसी भी कार्य दिवस में 11 बजे से 5 बजे के बीच देखा जा सकता है।
5. दरें कृषि भवन में इस विभाग तक के परिवहन प्रभार सहित होनी चाहिए।
6. निविदा में दी गई विनिर्दिष्टताओं के अनुसार दरों की बोली लगाई जानी चाहिए। जीएसटी की दरें, यदि अतिरिक्त भुगतान योग्य हो, तो स्पष्ट तरीके से इंगित होनी चाहिए।
7. गठित समिति वार्षिक रिपोर्ट की समयबद्ध डिलीवरी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एल-1 को अनुबंध प्रदान करने से पूर्व संबंधित प्रेस के कंप्यूटर लैब/प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि का सर्वे कर सकती है। अनुबंध के आबंटन में समिति का निर्णय अंतिम होगा।
8. कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा।
9. सफल निविदाकर्ता से प्रोफार्मा – इन्वॉयस का अनुरोध किया जा सकता है।
10. फर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुद्रण निर्धारित समय-सीमा के अंदर किया जाए और दी गई समय – सीमा के भीतर मुद्रण सामग्री की डिलीवरी हो सके। इस अनुबंध में समय ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है।
11. यदि ठेकेदार उपरोक्त में से किसी भी नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करता है या वह समय पर अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाता है, तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और उसकी प्रतिभूति जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और यह कार्य ठेकेदार की जोखिम एवं उसकी लागत पर एल II को आबंटित कर दिया जाएगा।
12. विभाग बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
13. बोलियों को पावती एवं निर्गम अनुभाग, उपभोक्ता मामले विभाग कमरा संख्या 50, भूतल, गेट संख्या 6, कृषि भवन, नई दिल्ली में जमा किया जा सकता है।